राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1363, 1364, 1365, 1366 / 2016.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स पेन्शीबायो बैंग प्रा0 लि0, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री ओ पी सैनी, अध्यक्ष

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

24 / 06 / 2016

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यें चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह चारों अपीलें धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील सं.	अवधि	अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चाही गयी स्थगन राशि	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
1363 / 16	12–13	9,95,858	5,97,348	3,98,510
1364 / 16	13–14	34,89,126	21,71,026	13,18,100
1365 / 16	14–15	33,94,722	21,69,082	12,25,640
1366 / 16	15–16	24,04,418	16,12,362	7,92,056

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। साथ ही उन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शेष बकाया मांग राशियां कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूल कर ली गई है एवं बकाया कोई मांग राशि विभाग में जमा करवाना शेष नहीं है।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों दिनांक 15.06.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा अवगत करवाया कि इन समस्त प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली योग्य मांग राशि को अपीलार्थी कम्पनी से वसूल कर लिया गया है। अतः यह अपीलें सारहीन हो जाने के फलस्वरूप निष्प्रभावी हो जाती है। अतः चारों अपीलों मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को निष्प्रभावी मानते हुए अस्वीकार करने का निवेदन किया।

निरन्तर.....2

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, वकील प्रार्थी के लिखित प्रार्थना पत्र का अध्ययन करने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती हे कि वसूली योग्य मांग राशियां उपरोक्त तालिकानुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 (चारों वर्षों) की वसूली कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर ली गई है एवं शेष राशि पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन दिया गया है। अतः प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र को मध्यनजर रखते हुए कि शेष कोई बकाया मांग राशि वसूल किया जाना नहीं है। प्रस्तुत चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने के कारण निष्प्रभावी हो जाती है एवं चारों प्रकरणों को खारिज किया जाता है।

चारों स्थगन अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश प्रसारित किया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर